(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खेतड़ी

विश्वनाथ पुत्र नेतराम मेघवाल बनाम तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी

किस्म मुकदमा प्रा०-पत्र रिकार्ड दुरुस्ती न. 36 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/3/21	आज यह प्रार्थना-पत्र बाद जांच तहसीलदार झुंझुनूं से प्राप्त होने पर आदेश में लिया जाकर अवलोकन किया गया। प्रा०-पत्र के अनुसार प्रार्थी अपना नाम सुवालाल के स्थान पर विश्वनाथ शुद्ध करवाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थना-पत्र की जांच के बाबत रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ग्राम दौराराम के नामान्तरकरण सं० 91 में नेतराम पुत्र उदा फौत होने पर इनके वारिसान नाथाराम, मातुराम, तेजाराम, बजरंगलाल, सुवालाल पुत्र नेतराम दर्ज रिकार्ड है चल आ रहा है प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों मय संलग्न दस्तावेज व जांच रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन से प्रार्थना-पत्र स्वीकरणीय नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपना पूरा नाम की दुरुस्ती चाही गई है जो जरिये नामान्तरकरण सुवालाल दर्ज किया गया। इस के द्वारा प्रार्थी का नाम सुवालाल दर्ज किया गया था दोनों पक्षकारों प्रकार लिपिकीय या अन्य त्रुटियों का दोनों पक्षकारों की सहमति से दुरुस्त किया जा सकता है तहसीलदार के प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15/2/21 से अप्रार्थीगण को पुनः कोर्ट पेशी की गई है इससे स्पष्ट है कि धारा 136 भू-अभिलेख नियम के अन्तर्गत दुरुस्ती ... नहीं की गई है अतः प्रार्थी का ... खारिज किया जाकर ... कैमल कुमार ... हो आदेश सुना गया।	

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.03.24 12:26:35 IST
Reason: SelfAttested